वि. सभा अता. प्रश्न क्र. 1648 परिशिष्ट - अ

अशोकनगर भास्कर

गुंगावली ▸ चंदेरी ▸ बहादुरपुर ▸ ईसागढ़ ▸ चंगला चौराहा ▸ पिपरई

शुक्रवार, 7 फरवरी 2025 | संस्करण पृष्ठ-05, 2079

प्रशासन की सख्ती • सीएम राइज स्कूल, दो छात्रावास और मंदिर की 25 बीघा जमीन से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया

पूर्व पार्षद के कब्जे से 5 करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त कराई और खेत पर बने दो मकान भी बुलडोजर से तोड़े

भास्कर संवाददाता | अशोकनगर

टोरिया क्षेत्र की 25 बीघा जमीन पर करीब 5-6 साल कब्जा कर खेत बना लिए

शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने गुरुवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। टोरिया क्षेत्र में करीब डेढ़ से दो घंटे कार्रवाई करते हुए एसडीएम टीम ने 5 करोड़ कीमत की 25 बीघा जमीन से भाजपा के पूर्व पार्षद व उनके परिवार के अन्य सदस्यों का कब्जा हटा दिया। यहां बने खेतों की मेड़ जेसीबी से तोड़ डाली। वहीं खेत पर बने दो मकानों पर बुलडोजर चढ़ा दिया।

अतिक्रमण हटाने के लिए शहरी क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई पहली बार हुई। बताया इसके लिए तहसीलदार रोहित रघुवंशी अपने पूरी टीम के साथ सुबह करीब 11 बजे टोरिया क्षेत्र में पहुंचे। यहां सड़क में लगे शासकीय मॉडल स्कूल के सामने की 25 बीघा शासकीय जमीन पर वार्ड 21 के पूर्व पार्षद रहे यादम सिंह लोधी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर कब्जा कर लिया था। बताया सभी ने शासकीय जमीन का बटवारा कर यहां खेतों भी तैयार कर दी। प्रशासन ने सबसे पहले हुए बटवारे के बीच बिछाये हुए खेतों के खेत की मेड़ को जेसीबी से उखाड़ा दी। यहां खेतों के बीच बने दो मकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया। करीब [illegible] कार्रवाई में अतिक्रमण हटाकर टीम ने 5 करोड़ रुपये कीमत की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया। तहसीलदार ने बताया कि इस इलाके में जमीन की कीमत करीब 23 लाख रुपए बीघा है। इस मान से 25 बीघा जमीन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आंकी गई है।

अधिकारियों पर आरोप भी लगाया, अतिक्रमण हटाने पहुंचे राजस्व अधिकारियों पर वहां मौजूद एक व्यक्ति ने भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। लेकिन लोगों ने कहा कि वैसे भी इस शासकीय जमीन पर किए गए कब्जे अधिकारियों को दिखाई नहीं देते। अधिकारी सिर्फ गरीबों पर ही रौब दिखाते हैं।

जमीन पर फिर से कब्जा किया तो कार्रवाई होगी

शासकीय जमीन से कब्जा हटाने के लिए अतिक्रमणकारियों को दो बार नोटिस देकर अल्टीमेटम दिया गया। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जमीन से कब्जा नहीं हटाया। इसी पर न्यायसंगत कार्रवाई करते हुए शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। कब्जा हटाने के बाद यदि अब इन लोगों ने कब्जा किया तो सीधे कानूनी कार्रवाई होगी।

- रोहित रघुवंशी, तहसीलदार अशोकनगर

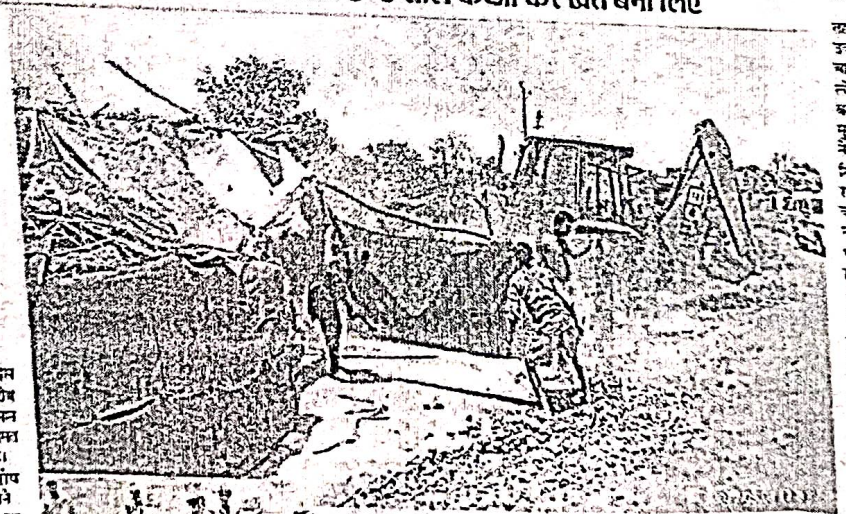

मंदिर वाले रास्ते पर बने मकान को भी जेसीबी से तोड़ दिया गया।

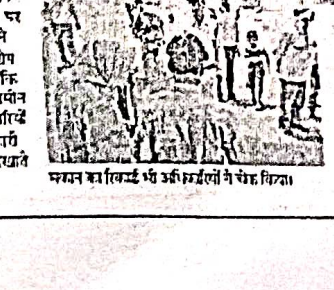

मकान का किचन भी अधिकारियों ने तोड़ दिया।

रास्ते में अतिक्रमण कर बनाए दूसरे मकान को भी तोड़ा

टोरिया क्षेत्र में कार्रवाई करने पहुंची टीम को रास्ते में मंदिर के रास्ते वाले क्षेत्र में सड़क किनारे बने मकान पर नजर पड़ी। शासकीय रास्ते पर अतिक्रमण कर बनाए गए इस मकान पर भी प्रशासन ने बुलडोजर चढ़ाकर तोड़ डाला। इस कार्रवाई के बाद पड़ोस के अन्य अतिक्रमणकारियों ने अपनी स्वेच्छा से सामान हटाकर रास्ता साफ कर दिया।

जमीन पर इनका कब्जा था

तहसीलदार रघुवंशी ने बताया कि उक्त 25 बीघा शासकीय जमीन पर यादमसिंह लोधी के पिता इनसे लोधी, मनु पिता पीतमसिंह लोधी, कल्याणसिंह पिता मुकुंदसिंह लोधी, मुन्नू पिता पीतमसिंह लोधी आदि ने शासकीय भूमि ग्राम रामकुंवर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 143, 155 रकबा 5.200 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा रखा था। जिसे पहले दो बार नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद भी संबंधितों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। इस कारण मुकदमे की अधिकारियों से सख्त रवैया अपनाना पड़ा।

जमीन पर बनेगा सीएम राइज स्कूल व दो छात्रावास

टोरिया क्षेत्र की जो 25 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। यहां 7-8 बीघा जमीन में सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग बनेगी। वहीं एक-एक हेक्टेयर में सहशिक्षा व जूनियर बालक छात्रावास बनेंगे। इसके अलावा एक मंदिर निर्माण भी होगा है।

पूर्व पार्षद ने कहा- मेरा अतिक्रमण नहीं था

अतिक्रमणकारी के रूप में दर्ज पूर्व पार्षद यादमसिंह लोधी ने बताया कि मैंने शासकीय जमीन पर कब्जा नहीं किया। कब्जा करने वाले मेरे परिवार व कुछ अन्य लोग हैं। इससे पहले भी मैंने राजस्व अधिकारियों को लिखित रूप से अवगत करा दिया था। बावजूद राजस्व अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों के नाम की सूची में मेरा नाम भी दर्ज कर दिया है।

[24/3/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 1648]

तहसीलदार - अशोकनगर